न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या 191/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00200)

1. खैरातीलाल पुत्र मलखान,
2. राजेश पुत्र दयाराम,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी राजाहेडा, तहसील बसवा, जिला दौसा।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र सावल्या जाति गुर्जर, निवासी राजाहेडा, तहसील बसवा, जिला दौसा।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा, जिला दौसा राजस्थान।
3. आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 11.07.2018 जो प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवंटन रूल्स अनुवानी खैरातीलाल बनाम रामेश्वर प्रकरण संख्या 9/2018 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री विनोद कुमार विजय, वकील अपीलान्ट।
2. श्री नवीन कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 13.11.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 11.07.2018 के विरूद्ध दिनांक 27.08.2018 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 21.02.1976 को वाके ग्राम राजाहेड़ा, तहसील बसवा में स्थित झाडीदार वन खड्डेदार भूमि आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 98 बीघा 14 बिस्वा बंजड़ बीहड़ में से 5 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 रामेश्वर पुत्र सावल्या जाति गुर्जर, निवासी राजाहेडा, तहसील बसवा, जिला दौसा को किया गया था। उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.07.2018 द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज करने के आदेश पारित किये गये।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 11.07.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा की गयी सम्पूर्ण बहस को अपने निर्णय में लिखे बिना व प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा

प्रस्तुत कानूनी नजीरों का हवाला दिये बिना प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स को खारिज करने में कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त आवंटन आवंटन रूल्स की अवहेलना करके फ्राड व धोके से किया गया है और ऐसे आवंटन को निरस्त नही करके प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स को खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त आवंटन आदेश को देखते है तो प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.1976 को प्रस्तुत किया गया है और उक्त भूमि बाबत बिना कोई जॉच रिपोर्ट लिये बिना दिनांक 21.02.1976 को भूमि खसरा नंबर 89 में से 5 बीघा भूमि पर अप्रार्थी नंबर 1 का आवंटन दिखा दिया। यदि उक्त आवंटन आदेश को देखते है तो आवंटन समिति ने कोई सिफारिश नही की है बल्कि आवंटन समिति ने ही आवंटन कर दिया जिसका आवंटन समिति को करने का कोई अधिकार नही था। आवंटन समिति में भी यदि त्रिलोकनाथ जोशी के हस्ताक्षरों को देखा जावे तो उक्त हस्ताक्षर दिनांक 21.02.1975 को किये गये है जबकि दिनांक 21.02.1975 को आवेदन ही पेश नही हुआ था तो दिनांक 21.02.1975 को आवंटन कैसे हो सकता है इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उक्त आवंटन फ्राड व धोके से किया गया किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स को खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त भूमि खसरा नंबर 89 जिसमें से 5 बीघा का आवंटन किया गया है उक्त भूमि आवंटन योग्य भूमि नही थी क्योकि उक्त भूमि झाडीदार वन खडडेदार भूमि बंजड बेहड भूमि है। कानूनन झाडीदार वन खडडेदार भूमि बंजड बीहड भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है किन्तु फिर भी आवंटन करने में कानूनी गलती की है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी बात पर गौर किये बिना और प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स को खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। खसरा नंबर 89 का रकबा 98 बीघा 14 बिस्वा है उक्त 98 बीघा 14 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि कहा आवंटित की गयी है यह भी आवंटन आदेश में नही दर्शाया गया है और ना ही उक्त आवंटन आदेश की नक्शे मे कही भी तरमीम की गयी है और ना ही उक्त आवंटन आदेश दिनांक 21.02.1976 का 29 वर्ष तक कोई गैर खातेदारी का नामान्तकरण खोला गया है उक्त आवंटन अवैध आवंटन होने के कारण नामान्तकरण नही खोला गया है तथा आवंटी का आवंटन होने से लेकर आज तक उक्त भूमि पर कब्जा नही रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस किसी भी बात पर गौर किये बिना व और ना ही अपने निर्णय मे विस्तृत विवेचन किये बिना प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स को खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि क्या उक्त भूमि आवंटन योग्य भूमि थी और क्या आवंटन नियम से किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बारे मे अपने निर्णय में कोई हवाला दिये बिना और प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स को खारिज कर दिया अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह फाइन्डिंग दी है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स मे स्वयं के लिये कोई अनुतोष भी नही मांगा है। किन्तु अधीनस्थ न्यायलय ने बिना पत्रावली पर गौर किये बिना और बिना प्रार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा की गयी बहस पर गौर किये बिना विपरीत फाइन्डिंग देकर उक्त निर्णय पारित किया है प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के चरण नंबर 7 में व अपनी बहस में बताया है कि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के बुर्जुग व अन्य लोगों का कब्जा आवंटन से भी पूर्व से चला आ रहा है। भूमि में प्रार्थीगण व अन्य लोग अपने पशुओं को चराते है पशुओं को चराने के लिये चारा करते है। उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है कानूनन ऐसी भूमि का आवंटन नही हो सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायलाय ने विपरीत फाइन्डिंग देकर के अपना निर्णय पारित किया है। आवंटी को उक्त आवंटित सुदा भूमि पर कही भी कोई कब्जा नही संभलाया गया है और ना ही कब्जा संभलाने का कोई रिकार्ड है इससे स्पष्ट सिद्ध है कि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आवंटी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा इसलिये आवंटन निरस्त योग्य था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर किये बिना व कोई फाइन्डिंग दिये बिना प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स को खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के हक अधिकार प्रभावित नही होना मानकर और आवंटन मे कोई गलती नही होना मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवंटन का गैर खातेदारी का नामान्तकरण 29 वर्ष बाद खुलना एवं उसके एक वर्ष बाद खातेदारी का खुलना माना है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर अपनी कोई फाइन्डिंग नही दी कि 29 वर्ष तक नामान्तकरण क्यों नही खुला और ना ही कब्जे के संबंध में कोई फाइन्डिंग दी और ना ही यह फाइन्डिंग दी कि झाडीदार वन बंजड बीहड का किस कानून में आवंटन हो सकता है इस किसी भी बिन्दु पर अपनी फाइन्डिंग दिये बिना प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन रूल्स को खारिज करने में कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 11.07.2018 को निरस्त फरमाकर आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 21.02.1976 जिसके तहत वाके ग्राम राजाहेडा में स्थित झाडीदार वन खडडेदार भूमि बंजड बीहड भूमि खसरा नंबर 89 रकबा 98 बीघा 14 बिस्वा बंजड बेहड में से 5 बीघा भूमि का अप्रार्थी नंबर 1 को आवंटन किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट को भूमि खसरा नं0 89 में से दिनांक 21.2.1976 को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। जिसकी जानकारी आवंटन के समय से ही प्रार्थीगण को भली–भांति रही है। उक्त ख.न. 83 में अन्य व्यक्तियों को भी भूमि आवंटित की गई है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट सं. 01 से व्यक्तिशः रंजिश रखते हैं इसलिये हैरान परेशान करने के लिए यह अपील विरूद्व प्रार्थना पत्र 14 (4) के पेश किया गया है। जो भूमि आवंटन के 40 वर्ष पश्चात पेश की गयी है। प्रश्नगत आवंटित भूमि किसी भी तरह से प्रतिबंधित भूमि नहीं है। प्रार्थना पत्र के निर्णय से प्रार्थीगण के किसी प्रकार से हक व अधिकार प्रभावित नही होते है। उक्त आवंटित भूमि के नामान्तकरण खुलने में देरी होने का कारण पहले जिला कलक्टर महोदय को शिकायत की गई थी जिसकी जांच होने के उपरान्त गैर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 01 का कब्जा आवंटन के समय से ही भूमि विवादग्रस्त पर कब्जा काश्त अनवरत चला आ रहा है। उक्त आवंटन आदेश के परिपेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा खोले गये नामान्तकरण गैर खातेदारी व खातेदारी नामान्तकरण के विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 70 दिनांक 02.03.2005 एवं नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 31.10.2006 ग्राम राजाहेडा तहसील बसवा के विरूद्ध रामप्रताप पुत्र मलखान गुर्जर निवासी राजाहेडा द्वारा अपीलें पेश की गई है। जिनमें रामप्रताप पुत्र मलखान गुर्जर द्वारा प्रश्नगत भूमि का रेस्पोडेन्ट सं. 01 को आवंटन ही नही होना व्यक्त किया गया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट को हैरान परेशान करने की नियत से बार–बार रेस्पोडेन्ट सं. 01 के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किये जा रहे है। प्रार्थीगण के किसी भी प्रकार से हक व अधिकार प्रभावित नही होते है। एक ओर प्रार्थीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रश्नगत भूमि आवंटन योग्य नही है तथा दूसरी ओर प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर अपने बुजुर्गान के समय से कब्जा होना व्यक्त किया है। जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट नही किया कि उक्त कब्जा कैसे एवं किस हक व अधिकार से होना बताते है। जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 01 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन दिनांक 21.02.1976 को हो चुका है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को आवंटन करवाने हेतु कोई आवेदन पत्र तत्समय पेश किया गया हो तो उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट्स की अपील मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमायी जावे व अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आदेश दिनांक 11.07.2018 व आवंटन कमेटी का आदेश दिनांक 21.02.1976 बहाल रखा जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 21.02.1976 को वाके ग्राम राजाहेड़ा, तहसील बसवा में स्थित झाडीदार वन खड्डेदार भूमि आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 98 बीघा 14 बिस्वा बंजड़ बीहड़ में से 5 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 रामेश्वर पुत्र सावल्या जाति गुर्जर, निवासी राजाहेडा, तहसील बसवा, जिला दौसा को किया गया था। उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.07.2018 द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज करने के आदेश पारित किये गये। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 21.02.1976 को वाके ग्राम राजाहेड़ा, तहसील बसवा में स्थित झाडीदार वन खड्डेदार भूमि आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 98 बीघा 14 बिस्वा बंजड़ बीहड़ में से 5 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 रामेश्वर पुत्र सावल्या जाति गुर्जर, निवासी राजाहेडा, तहसील बसवा, जिला दौसा को किया गया था। जिसके परिपेक्ष्य में नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 02.03.2005 एवं 98 दिनांक 31.10.2006 तहसीलदार बसवा द्वारा स्वीकृत किया गया है। किन्तु आंवटन आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र 14(4) 40 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में पेश किया गया है प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर वर्षों से कब्जा होना व्यक्त किया है किन्तु तत्समय उक्त प्रश्नगत भूमि के आवंटन करने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो ऐसा भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि भूमि आवंटन में तुलनात्मक रूप से किसी प्रकार की अनियमितता हुई हो। उक्त खसरा नम्बर में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अन्य व्यक्तियों को भी आवंटन होना किन्तु प्रार्थी द्वारा अन्य आवंटियों के आवंटन आदेश के विरूद्ध कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जाना व्यक्त करते हुए व्यक्तिशः रंजिश होना बताया है। प्रार्थीगण द्वारा स्वंय के लिए कोई अनुतोष भी नहीं मांगा है। प्रार्थी के किसी प्रकार के हक व अधिकार भी प्रभावित नहीं होते हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को 21.02.1976 में भूमि आवंटन की गयी थी। अपीलांट ने 40 वर्ष बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहां दिनांक 14.06.2018 को आंवटन निरस्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलांट स्वंय ही कथित रूप से अतिक्रमी था। जिन्हें किसी भी प्रकार से आवंटन निरस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आवंटन निरस्त कराना है तो तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भू आंवटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर आवंटन निरस्त करवाने की कार्यवाही करनी चाहिये। अपीलान्ट का यह कहना कि रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कभी कब्जा ही नही है, यह स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलान्ट यदि भूमि पर अधिकार मानता है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 में खातेदारी हेतु दावा करना चाहिये, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार किये जाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आंवटन नियम 1970 खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हैं। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2018 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। जिसके संबंध में किसी प्रकार के एतराज या उज्रात की लोकल स्टेण्डाई अपीलांट को नहीं है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.07.2018 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर